॥ श्रीहरिः ॥ 701

गर्भपात

उचित या अनुचित

फैसला आपका

लेखक—

गोपीनाथ अग्रवाल

गीताप्रेस, गोरखपुर

701

॥ श्रीहरिः ॥

गर्भपात

उचित या अनुचित फैसला आपका



लेखक—

गोपीनाथ अग्रवाल

गीताप्रेस, गोरखपुर

प्रकाशक—गोबिन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर

सं० २०५३ से २०५६ तक	२,८०,०००
सं० २०५७ चौदहवाँ संस्करण	१०,०००
सं० २०५७ पन्द्रहवाँ संस्करण	१०,०००
	योग ३,००,०००

मूल्य—तीन रुपये

मुद्रक—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५
फोन : (०५५१) ३३४७२१; फैक्स ३३६९९७

visit us at: www.gitapress.org | e-mail: gitapres@ndf.vsnl.net.in

॥ श्रीहरिः ॥

नम्र निवेदन

प्रस्तुत पुस्तक पहले जैनबुक-एजेन्सी, सी-९ कनाटप्लेस नई दिल्लीसे प्रकाशित हो चुकी है। वर्तमान समयमें इस पुस्तकके अधिकाधिक प्रचारकी आवश्यकताको देखते हुए इसे जैनबुक-एजेन्सीके साथ ही यथावश्यक संशोधनके साथ गीताप्रेस, गोरखपुरसे भी प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकार संशोधित रूपमें प्रकाशित करनेके लिये पुस्तकके लेखक एवं प्रकाशकने हमें कृपापूर्वक निःशुल्क अनुमति प्रदान की है, इसके लिये हम उनके आभारी हैं।

—**प्रकाशक**

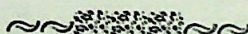
समर्पित

उन मासूम कलियोंको
जो जाने-अनजानेमें
चमनमें खिलनेसे पहले
ही मसल दी जाती हैं।



॥श्रीहरिः॥

विषय-सूची



॥ श्रीहरिः ॥

इस पुस्तककी आवश्यकता क्यों पड़ी?

गर्भपात क्या जीव-हत्या है या नहीं? मेरा यह दृढ़ विश्वास रहा है और मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि यह जीव-हत्या है, क्योंकि जीवके बगैर तो कोई भी विकास होना असम्भव है। विज्ञानने भी यह सिद्ध कर दिया है कि प्रथम क्षणसे ही पुरुषके शुक्राणुका स्त्रीके डिंबसे मेल होते ही एक नये जीवका जीवन प्रारम्भ हो जाता है।

आज गर्भपात (एबोर्शन) को प्रोत्साहन देना व इसको आर्थिक व सामाजिक दृष्टिसे उचित ठहराना एक फैशन बन गया है व माँ-बाप इसके द्वारा अपने मासूम शिशुओंकी इस प्रकार हत्या करवा रहे हैं जैसे उन्होंने जीव-हत्या न कराके कोई साधारण-सा आपरेशन कराया हो। गर्भपातकी इस लहरकी चपेटमें जब मैंने अपने ऐसे इष्ट-मित्रों व सम्बन्धियोंके परिवारोंको भी बहते देखा, जो धार्मिक व अहिंसक भावनावाले माने जाते हैं और जिन्होंने गर्भपात कराते हुए एक आँसूतक बहानेकी आवश्यकता भी अनुभव नहीं की बल्कि इसे उचित ही ठहरानेका प्रयास किया, तो मेरा हृदय अत्यन्त व्यथित हुआ।

मैंने सोचा कि पशु, पक्षियों आदिकी हिंसाको रोकनेके लिये तो अनेक संस्थाएँ प्रयत्न कर रही हैं किन्तु गर्भस्थ शिशुओंकी निरन्तर बढ़ती हत्याओंको रोकनेके लिये कोई विशेष प्रयास नहीं हो रहा। इन निरपराध, मासूम जीवों जिनमें सम्भवतः कोई महापुरुष व देशका निर्माता भी हो, की गर्भमें ही हत्याओंको रोकनेके लिये भी कुछ-न-कुछ प्रयत्न अवश्य किया जाना चाहिये। मैंने तभी गर्भपातकी वास्तविकतासे आम व्यक्तिको परिचित करानेवाली एक पुस्तिका निकालनेका निश्चय किया।

यह विचार जब मैंने 'शाकाहार या मांसाहार—फैसला आप स्वयं करें', 'श्रीकृष्णचरितमानस', 'मादक पदार्थ व धूम्रपान—लाभ-हानि स्वयं जानिये' आदि पुस्तकोंके लेखक मौसाजी श्रीगोपीनाथ अग्रवालको बताया व उनसे मेरी भावनाओं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिकता व स्वास्थ्य आदिकी दृष्टिके आधारपर गर्भपातके औचित्यपर पुस्तक लिखनेका निवेदन किया, तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर जो पुस्तिका तैयारकी वह आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

प्रिय बन्धुओ! इस पुस्तिकाको पढ़कर आप स्वयं ही यह निर्णय करें कि गर्भपातद्वारा मानवका अपनी ही सन्तानकी इस प्रकार नृशंस हत्या कराना कहाँतक मानवोचित है व ऐसा करके क्या वह जीवित प्राणीकी हत्याके पापका दोषी नहीं होता?

धन्यवाद,

नाभिकुमार जैन

जैनबुक-एजेन्सी, नई दिल्ली

हर एबोर्शन (गर्भपात) में हत्या अनिवार्य है

आधुनिक विज्ञानने यह सिद्ध कर दिया है कि पुरुषके (Sperm) शुक्राणुका स्त्रीके (Egg) डिंबसे मेल होते ही एक नये जीवका जीवन प्रारम्भ हो जाता है। इनविटरो फर्टिलाइजेशन (Invitro fertilization) के तरीकेसे जो विश्वके अनेक भागोंमें हजारसे भी अधिक बार दोहराया जा चुका है, यह निर्विवाद सिद्ध हो चुका है कि गर्भाधानके समय ही एक ऐसा भिन्न व्यक्तित्व उत्पन्न हो जाता है जिसमें अनेक वर्षोंतक प्रगति करनेकी क्षमता होती है। उस व्यक्तित्वकी ऊँचाई, बौद्धिक स्तर, चलनेकी रीति, रक्तकी जाति (Blood Group) आदि भी तभी निश्चित हो जाती हैं। इस प्रथम क्षणसे ही उस जीवकी विकास यात्रा प्रारम्भ हो जाती है जो एक निश्चित कार्यक्रमानुसार निरन्तर चलती रहती है। उसका जीवन माँके जीवनसे पृथक् होता है और वह जीवित प्राणी माँसे अलग अपनी निरन्तर प्रगति करता रहता है।

वह जीवित प्राणी प्रथम नौ माहतक अपनी माँकी कोखवाले निवासमें रहकर प्रगति करता है और जब उसकी उत्तरोत्तर प्रगतिके लिये वह निवास छोटा पड़ने लगता है तब वह माँकी कोखसे बाहर आकर दूसरे बड़े निवास, संसारमें आगे प्रगति करता है। शिशुका जन्म लेना तो उस नौ माहकी आयुवाले प्राणीका निवास-स्थान परिवर्तन करनामात्र है। जन्म लेना उस प्राणीकी आयुकी प्रथम तिथि नहीं, अपितु उसके माँकी कोखसे बाहर संसारमें आनेकी तिथि, जन्म लेनेकी तिथि (Date of Birth) है। जन्म लेनेके दिन तो उसकी आयु नौ माह हो चुकी होती है। जैसे हम परिवारका आकार बढ़नेपर अपना छोटा निवासस्थान त्यागकर बड़े निवासमें रहने लगते हैं, उसी प्रकार शिशु माँकी कोखवाले छोटे निवासको त्यागकर बाहरकी दुनियाके बड़े निवासस्थानमें रहनेको आ जाता है। हत्या चाहे छोटे निवासस्थानमें की जाय, चाहे बड़े निवासमें, हत्या तो समानरूपसे हत्या ही है। जन्मके नौ माह पूर्व गर्भाधानके क्षण भी वह वही जीवित प्राणी था जो जन्मके बाद। तब भी उसमें उतनी ही जान थी जितनी जन्म लेनेके बाद।

चाहे कोई जीव प्रगतिकी प्रारम्भिक अवस्थामें हो अथवा अन्तिममें, चाहे वह गर्भके अंदरवाले निवासमें हो अथवा बाहरवाले निवासमें, प्रत्येक अवस्थामें हत्या तो समानरूपसे हत्या ही है। गर्भपात (Abortion), गर्भाधानके बाद चाहे जितनी

भी जल्दी कराया जाय, उसमें एक जीवित शिशुकी हत्या अनिवार्य है। जबतक माँको अपने गर्भवती होनेका आभास होता है तबतक तो उसकी कोखमें पल रहे बच्चेका दिल धड़क रहा होता है, मस्तिष्क विकसित हो जाता है और वह अपने हाथ-पाँव हिलाने व प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है।

अपने ही लहूसे बने, अपने ऐसे जीते-जागते व दाम्पत्य प्रेमके प्रतीक शिशुको गर्भपातद्वारा कटवाकर टुकड़े-टुकड़े कराकर निर्मम हत्या करवानेवाले माँ, बाप, सम्बन्धी व ऐसे जघन्य कार्यके लिये प्रेरित करनेवाले इन्सानोंको केवल अपराधी या पापी कहना बहुत न्यून है। धर्मशास्त्रोंने तो पञ्चेन्द्रिय-वधको नरकगतिका कारण कहा है व गर्भ-हत्यारिणी स्त्रीकी नजरोंके सामने भोजन करनेतकको मना किया है।

जैन-धर्मकी मान्यतानुसार तो गर्भपात होनेपर भी उसी प्रकार सूतक माननेका विधान है जैसे एक पूर्ण आयुके व्यक्तिकी मृत्युपर होता है। सूतककी अवधि, जितने माहका गर्भपात हो उतने ही दिनका सूतक माननेका विधान है।

*भारतके सर्वोच्च न्यायालयने एक निर्णय सुनाते हुए वेदोंका उदाहरण देते हुए कहा कि किसीका जीवन लेना केवल अपराध ही नहीं अपितु पाप भी है। महान् न्यायाधीशोंने यह भी कहा कि (Foetus is regarded as a 'human life' from the moment of Fertilization) गर्भाधानके समयसे ही भ्रूणको एक मानव-जीवन माना जाता है। महात्मा गाँधीके कथनको दोहराते हुए उन्होंने कहा—'God alone can take life because he alone gives it' जीवन केवल भगवान् ही ले सकता है क्योंकि केवल एक वही जीवन देनेवाला है।

हर छोटे-बड़े प्राणीको जीनेका पूर्ण अधिकार है। किसीका जीवन नष्ट करनेका अधिकार किसीको भी नहीं है और न ही किसी माँ-बापको अपनी जीती-जागती संतानकी हत्या करवानेकी छूट विश्वके किसी भी धर्मने प्रदान की है। अतः भ्रूण-हत्या (एबोर्शन) जैसे नृशंस, अमानवीय व हिंसक कार्यको जो सम्पूर्ण मानव-जातिपर एक कलंक है, उसे न केवल स्वयं त्यागना, अपितु उसे पूर्णरूपसे रोकनेके लिये भरसक प्रयत्न करना भी हम सब मानवोंका प्रथम कर्तव्य है।



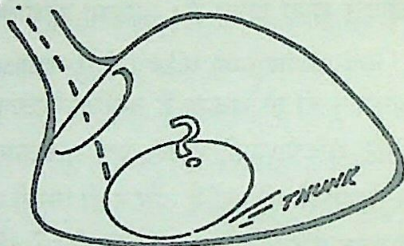
*हिन्दुस्तान टाईम्स, ता० १६.४.९४।

भ्रूण (गर्भस्थ बच्चे) का विकास-क्रम

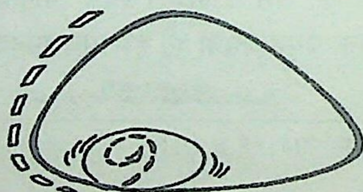
गर्भपात अर्थात् भ्रूण-हत्या करवानेवाले अधिकांश व्यक्ति इस भ्रमके शिकार हैं कि गर्भाधानके तीन-चार माह बाद ही गर्भस्थ शिशुमें प्राणोंका संचार होता है, इससे पूर्व वह केवल एक मांसका पिण्ड ही होता है जिसमें जीव नहीं होता। यह केवल एक आत्मप्रवञ्चना व दुष्प्रचार है। जैसा कि पहले बताया गया है कि बिना जीवके विकास असम्भव है व गर्भाधानके समय ही पुरुषके (Sperm) शुक्राणुका स्त्रीके (Egg) डिंबसे मेल होते ही एक नया जीव अस्तित्वमें आ जाता है। उसी क्षण स्त्री व पुरुषके (क्रोमोसोम्स) गुणसूत्रोंका मेल होते ही उस नये जीवके व्यक्तित्वकी ऊँचाई, बौद्धिक स्तर, ब्लडग्रुप आदि निश्चित हो जाते हैं। माँकी कोखमें बिताया हुआ नौ माहका समय तो केवल उस जीवके निरन्तर विकास व प्रगतिकी कहानी है।

वैज्ञानिकोंके अनुसार यह प्रगति निम्न प्रकारसे होती है।

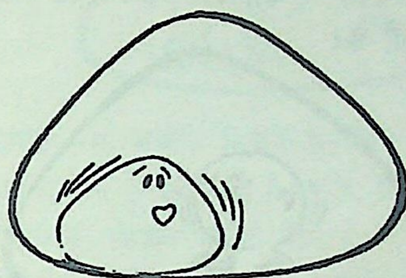
प्रथम सप्ताह—सैल्स (कोशिकाओं) का बँटवारा होता रहता है। एक नयी जिन्दगी माँकी कोखमें अपना स्थान बना लेती है व एक नया पैदा हुआ जीव विकसित होने लगता है।



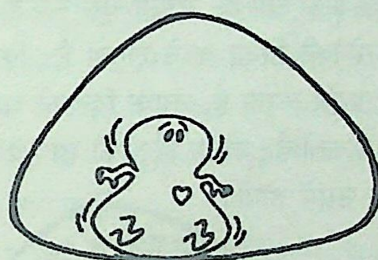
दूसरा सप्ताह—माताद्वारा किये गये भोजनसे नया जीव पोषण पाने लगता है।



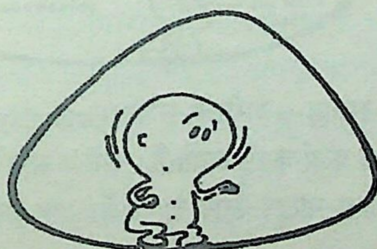
तीसरा सप्ताह—इस अति सूक्ष्म प्राणीकी आँखें, रीढ़, मस्तिष्क, स्पाइनल कोर्ड, नरवस सिस्टम, फेफड़े, पेट, जिगर, आँतें, गुर्दे आदिकी निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। अठारहवें दिन दिलकी धड़कन प्रारम्भ हो जाती है।



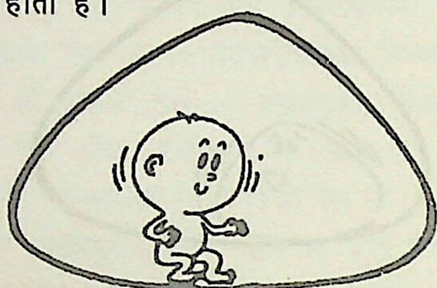
चौथा सप्ताह—सिर बनने लगता है। रीढ़की पूरी बनावट सुषुम्ना बनकर पूरी हो जाती है। हाथ-पाँव बनने लगते हैं।



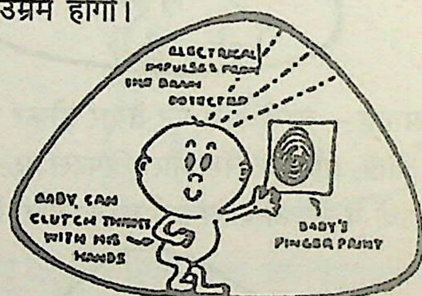
पाँचवाँ सप्ताह—छाती और पेट तैयार होकर एक-दूसरेसे पृथक् हो जाते हैं। सिर, आँखें, आँखोंपर लैंस और दृष्टिपटल (Retina) आ जाता है। कान बन जाते हैं। हाथों व पैरोंकी कलिकाएँ बनने लगती हैं।



छठा व सातवाँ सप्ताह—बच्चेके शरीरके सब अङ्ग, सिर, चेहरा, मुँह, जीभ आदि बनकर तैयार हो जाते हैं। मस्तिष्क पूरी तरहसे विकसित हो जाता है, मस्तिष्ककी लहरों अथवा तरंगोंको मापा जा सकता है। बच्चेके लिङ्गका पता लग सकता है। वह अपने अङ्ग हाथ-पाँव हिला पाता है, गुदगुदानेसे बच्चेमें प्रतिक्रिया होती है।

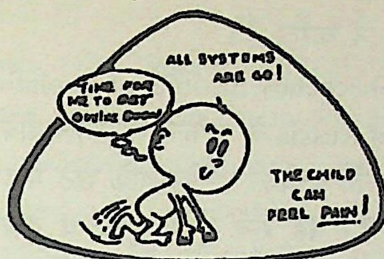


आठवाँ सप्ताह—बच्चा स्पर्श व दर्द अनुभव करने लगता है। मुट्ठी बन्द कर सकता है, कुछ पकड़ सकता है, अँगूठा चूस सकता है। तैरनेकी मुद्रामें हिलता है, जागने व सोनेकी क्रिया करने लगता है। किसी वस्तुके छुआये जानेपर उससे बचनेका प्रयत्न करता है, उसके दिलकी धड़कन अल्ट्रासोनिक स्टेथोस्कोपपर सुनी जा सकती है। उसके अँगूठेकी छाप वैसी ही होती है जैसी कि उसकी ८० वर्षकी उम्रमें होगी।



ग्यारहवाँ-बारहवाँ सप्ताह—शरीरके सभी (Organ system) अवयव-प्रणाली बन चुके होते हैं व कार्य करने लगते हैं। नसों व मांसपेशियोंमें सामञ्जस्य स्थापित होता है, उँगलियोंपर नाखून उगने लगते हैं। अब उसे केवल बढ़नेकी

आवश्यकता होती है।



सोलहवाँ सप्ताह—माँ बच्चेके हिलने-डुलनेको महसूस करने लगती है। बच्चेकी लम्बाई अब ५$\frac{१}{२}$ इंच होती है। माँके पेटपर स्टेथोस्कोप रखकर गर्भस्थ शिशुके हृदयकी धड़कन सुनायी देती है।

छठे मासमें बच्चा ११-१२", सातवेंमें १४", आठवेंमें १५-१६" व नौवें मासके अन्ततक १७-१८" लम्बा हो जाता है व उसका वजन ६-७ पौन्ड हो जाता है।

डॉ० थौमस वर्नीने अपनी पुस्तक "द सीक्रेट लाइफ ऑफ अनबौर्न चाइल्ड" में लिखा है कि पाँचवें महीनेके मध्यमें माँके (Abdomen) उदरपर चमकदार प्रकाश पड़नेपर बालक अपने हाथोंको हिलाकर आँखें ढकनेकी अवस्थामें लानेको उकसाता है। तेज संगीत उसे अपने हाथ कानोंकी ओर ले जाते हैं। आँखोंके तेजीसे घूमनेसे उसके सोने-जागने व स्वप्नावस्थाका पता लगता है।

फरवरी, १९९१ की 'गृहशोभा' पत्रिकामें छपे समाचारके अनुसार ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक परिषदके श्रीपीटर हापर वर्षोंके अध्ययनके बाद इस निष्कर्षपर पहुँचे कि बारह सप्ताहका भ्रूण भी संगीतकी पहचान करनेमें सक्षम हो जाता है। वह न केवल गर्भमें संगीतकी ध्वनियोंपर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, बल्कि अलग-अलग ध्वनियोंकी पहचान करना भी सीख जाता है। उनका कहना है कि नवजात शिशुको ज्यों ही अपनी परिचित धुन सुनायी जाती है वह रोते-रोते चुप हो जाता है। नवजात शिशु केवल उन्हीं धुनोंको पहचानते हैं जो उन्होंने अपनी माँके गर्भमें सुनी थीं। यह निष्कर्ष महाभारतके अभिमन्युका गर्भमें ही चक्रव्यूह भेदनेकी शिक्षा प्राप्त करनेकी घटनाकी

सत्यताका अनुमोदन करता है।

इसी प्रकार Shechenov Institute of Evolutionary Physiology & Biochemistry of Russia के इन्फैन्ट साइकोलोजीके चिकित्सा-शास्त्रियोंका निष्कर्ष है कि प्रकृति बच्चेको गर्भावस्थाके छठे माहमें ही सब कुछ समझने योग्य बना देती है। वह सब कुछ सुनने व देखने लगता है, सूँघने व चखनेका अनुभव प्राप्त कर लेता है।

*महाभारतके अभिमन्युकी घटना व कई देशोंमें हुए परीक्षणोंके निष्कर्षोंसे प्रोत्साहित होकर उड़ीसा-सरकार गर्भवती माताओंको अपने गर्भस्थ शिशुओंको गर्भमें ही शिक्षा देनेका कार्यक्रम प्रारम्भ करने जा रही है। यह प्रोग्राम National Institute of Habital Management, भुवनेश्वरके द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत गर्भवती माताओंको चौथे व पाँचवें महीनेमें शिक्षित किया जायेगा, क्योंकि Dr. S.N. Pati के कथनानुसार इस समय भ्रूणका मस्तिष्क इतना विकसित हो चुका होता है कि वह "Psychosomatic reaction" द्वारा माँ व बच्चेके बीचके रक्तके संचालनसे ही गर्भस्थ शिशु माँके द्वारा विभिन्न संकेत प्राप्त कर लेता है।

साधारण शब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि माँ व गर्भस्थ बच्चेके मस्तिष्कोंमें एक ऐसा सामञ्जस्य स्थापित हो जाता है कि माँके मस्तिष्कमें जो विचार बनते हैं वे तभी गर्भस्थ शिशुके मस्तिष्कपर भी अपनी छाप बना देते हैं। उदाहरणस्वरूप एक कार या स्कूटर चलानेवाली गर्भवती माँ अनजानेमें ही अपने गर्भस्थ शिशुको सुरक्षित वाहन चलानेका विज्ञान सिखा देती है।

यह प्रायः देखा जाता है कि एक डाक्टरकी संतान डाक्टर, संगीतज्ञकी संतान संगीतज्ञ, क्रिकेटरकी संतान क्रिकेटर ही बनते हैं। इसका कारण यही है कि संतान गर्भावस्थामें ही अपने माँ-बापद्वारा उनके ज्ञान व रुचियोंसे शिक्षा प्राप्त करती रहती है और समय आनेपर उनका गर्भावस्थामें प्राप्त किया हुआ वही ज्ञान उसे उस विषयमें कुशलता प्राप्त करनेमें सहायक हो

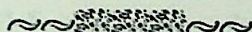
* टाईम्स ऑफ इन्डिया, ता० ४. ७. ९४

जाता है। शास्त्रोंमें इसीको माँ-बापसे प्राप्त संस्कार कहा गया है।

Williams obstetrics (17th edition 1985) के लेखकने कहा है "Happily, we live and work in an era in which the foetus is established as our second patient with many rights and privileges comparable to those previously achieved only after birth." अर्थात् विज्ञानकी प्रगतिके साथ भ्रूणको तो अब माँसे पृथक् एक दूसरा रोगी माना जाने लगा है और गर्भस्थ शिशुके कुछ रोगोंके कुछ प्रकारके ऑपरेशनतक किये जा रहे हैं।

बालहृदय-रोगविशेषज्ञ श्रीमती डॉ० ओनल खलीलुल्लाहके अनुसार गर्भावस्थाके समय माँके एक्सरे करानेपर, पहले तीन महीनेतक विकिरणका असर गर्भमें पल रहे शिशुपर भी पड़ सकता है। उन्होंने यथासम्भव डाक्टरकी सलाहके बिना किसी तरहकी दवा खानेको भी मना किया है।

*विश्वप्रसिद्ध पत्रिका 'Lancet' ने गर्भवती महिलाओंको 'अल्ट्रासाउन्ड' से भी सावधान किया है। गर्भवतीके बार-बार 'अल्ट्रासाउन्ड' परीक्षण करानेसे भ्रूणका विकास प्रभावित होता है। जिन महिलाओंने गर्भावस्थाके दौरान पाँच बार 'अल्ट्रासाउन्ड' कराया उन्होंने उस महिलाकी तुलनामें जिसने केवल एक बार 'अल्ट्रासाउन्ड' कराया २५ ग्राम कम वजनके शिशुको जन्म दिया।



* जनसत्ता, ता० १९. १२. ९३
देहली मिड डे, ता० दिल्ली १७. १२. ९३

एबोर्शन अर्थात् सुनियोजित भ्रूण-हत्याकी विधियाँ

एबोर्शन यानी गर्भपात करानेको अधिकांश व्यक्ति एक साधारण-सी ऐसी शल्य-क्रिया मानते हैं जैसे कि शरीरमें हुई एक रसौली अथवा पथरीको निकलवा देना। यह धारणा बिलकुल गलत है। एबोर्शन तो एक जीते-जागते निर्दोष प्राणीकी सुनियोजित नृशंस हत्या है। गर्भमें जीवका अस्तित्व तो गर्भाधानके क्षणसे ही हो जाता है और जबतक माँको यह पता लगता है कि वह गर्भवती है तबतक उसकी कोखके शिशुके प्रायः सब अङ्ग बन चुके होते हैं, मस्तिष्क विकसित हो चुका होता है, दिल धड़कना प्रारम्भ कर चुका होता है अर्थात् वह एक पूर्णरूपेण जीवित प्राणी बन चुका होता है।

अपने ऐसे जीवित शिशुकी एबोर्शनद्वारा हत्या करवानेका निश्चय करनेवाले माँ-बाप यदि यह जान लें कि इस क्रियाद्वारा उनकी जीती-जागती निश्चित रूपसे पूर्ण विकसित संतानकी किस निर्ममता व निर्दयतासे यातना दे-देकर हत्या की जाती है, तो निश्चित है कि वे अपने गर्भस्थ शिशुकी हत्या अर्थात् एबोर्शन करानेको फिर कभी तैयार नहीं होंगे।

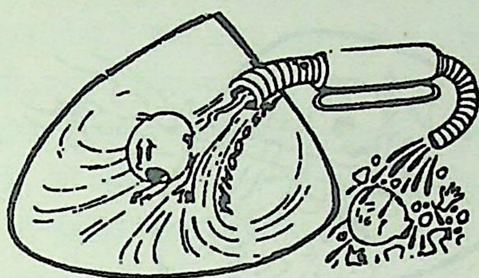
***एबोर्शनकी मुख्य विधियाँ निम्न हैं—**

१. (Suction Aspiration) चूषण-पद्धति—यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसमें गर्भाशय (Womb) का मुख खोलकर उसके अन्दर (Suction curette) एक खोखली नलिका जिसका सिरा चाकू-जैसा होता है व नलिकाके साथ एक पम्प जुड़ा होता है, डाली जाती है और पम्पके तेज दबाव व खिंचावसे बच्चेके शरीरको फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं। इसके चाकूकी चपेटमें बच्चेका कभी कोई तो कभी कोई, छाती, पेट, सिर आदि जो भी अङ्ग आता-जाता है, कटता-फटता

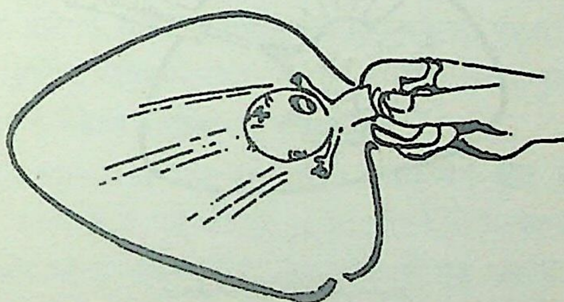
---

* बचाओ! बचाओ, लेखक, मुनि रश्मिरत्नविजय।

जाता है और ये कटे-फटे टुकड़े बोटी-बोटीकर इस प्रकार बाहर खेंच लिये जाते हैं मानो कोई कूड़ा-करकट हो।

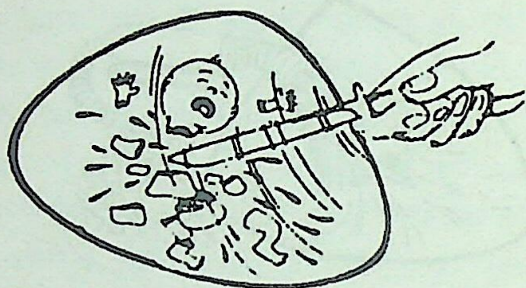


२. **(Dilation and Evacuation) फैलाव व निष्कासन-विधि**—यह विधि तीनसे नौ माहतकके बच्चेके लिये प्रयोगमें लायी जाती है। इसमें गर्भाशय (Womb) के मुँहको खींचकर काफी खोला जाता है व विशेष प्रकारके औजारसे बच्चेके शरीरको काटा जाता है व उसकी खोपड़ीको तोड़ा जाता है। बच्चेके अङ्गोंके कटे व कुचले टुकड़ोंको गोल छल्लेदार कैंचीसे निकाला जाता है। बच्चेके टुकड़े-टुकड़े, कुचला हुआ सिर, लहूलुहान आँतें, धड़कता-सा नन्हा हृदय सब कूड़े-करकटके ढेरकी तरह फेंक दिये जाते हैं।

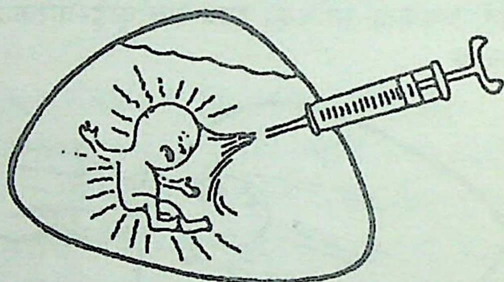


३. **Dilatation and curettage (D and C) विधि**—यह भी प्रथम विधि-जैसी ही होती है। इस विधिमें चाकू एक तेज धारवाले लूपकी

शक्लका होता है जो गर्भाशयमें बच्चेको काट डालता है। कटे हुए अंगोंके टुकड़ोंको एक चम्मच-जैसे साधन (Cervix) से गर्भाशयके मुँहमेंसे निकालते हैं।



४. जहरी क्षारवाली पद्धति—एक लम्बी मोटी सुई गर्भाशयमें लगाकर उसमें पिचकारीकी सहायतासे नमकका क्षारवाला द्रव छोड़ दिया जाता है। चारों ओरसे घिरा बालक क्षारका कुछ अंश निगल जाता है व ज़हर खाये व्यक्तिकी भाँति गर्भाशयमें तड़फने लगता है, उसकी चमड़ी श्याम पड़ जाती है और वह घुट-घुटकर वहीं मर जाता है, फिर उसे बाहर निकाल लिया जाता है।





गर्भपात करानेमें माँको भी खतरे

गर्भपात (एबोर्शन) या भ्रूण-हत्यासे जहाँ एक ओर निरपराध गर्भस्थ शिशुकी निर्मम हत्या होती है वहीं दूसरी ओर गर्भपात करानेवाली माँको भी कई जटिलताओं, समस्याओंका न्यूनाधिक संकट उत्पन्न हो ही जाता है। इनमेंसे कुछ सम्भावित जटिलताएँ तात्कालिक प्रभाववाली व कुछ दीर्घकालीन प्रभाववाली होती हैं, जो माँको न केवल आगेके लिये बाँझ बना सकती हैं बल्कि उसकी जानतकको खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।

***तात्कालिक जटिलताएँ—**

१. **(Haemorrhage) हैमरेज (रक्त-स्राव)**—गर्भपातके दौरान रक्तकी हानि होनेके कारण माँको इसका खतरा हो सकता है व रक्त चढ़ानेकी आवश्यकता पड़ सकती है।

२. **(Infection) रोग-संक्रमण**—गर्भपातके दौरान गर्भस्थ शिशुके शरीरका कोई कटा-फटा अंग या भाग गर्भाशयमें बचा रह जानेपर या ऑपरेशनके समय कोई अन्य कमी रह जानेकी अवस्थामें ट्यूबल इन्फैक्शन हो सकता है व आगेके लिये वह बाँझ भी बन सकती है।

३. **(Damaged Cervix) गर्भाशयका क्षतिग्रस्त होना**— गर्भपातके दौरान औजारोंके प्रयोगके लिये जो गर्भाशयका मुख खोलना पड़ता है उससे उसको आघात लगनेपर भविष्यमें स्वत: गर्भपात हो जाने अथवा समय-पूर्व ही शिशुको जन्म दे देनेकी अवस्था हो सकती है।

४. **(Perforation of the uterus) गर्भाशयमें छेद होना**— गर्भपातके लिये प्रयोग किये गये औजार (Curette) से बच्चेदानीमें छेद हो सकता है और परिणामस्वरूप उसे निकालना भी पड़ सकता है और स्त्री आगेके लिये बाँझ बन सकती है।

५. **(Perforation of the Bowl) अँतड़ियोंमें सुराख होना**—

---

* Article-Sahu Shalendra Kumar Jain, Advocate.

गर्भपातमें प्रयुक्त औजारोंसे अँतड़ीमें सुराख हो सकता है।

***दीर्घकालीन जटिलताएँ—**

१. (Stillborn and Handicapped babies) मृत अथवा अपङ्ग बच्चे—जिन स्त्रियोंका रक्त RH-negative होता है और जिन्हें गर्भपातके बाद RHO-gam नहीं मिल पाता, उनकी भावी सन्तानको ऐसा खतरा उत्पन्न हो जाता है।

२. (Miscarriages) गर्भस्राव—जिन स्त्रियोंने गर्भपात कराया होता है उन्हें गर्भस्रावका खतरा ३५% अधिक हो जाता है।

३. (Impaired Child-bearing ability) विकृत गर्भक्षमता—गर्भपातके बाद होनेवाली आगामी संतानोंकी उत्पत्तिमें जन्मते समय जटिलता उत्पन्न हो सकती है।

४. (Premature births) अवधि-पूर्व जन्म—अधिक गर्भपात करा लेनेपर समयसे पूर्व ही बच्चेके जन्म हो जानेका खतरा २ से ३.३ गुना बढ़ जाता है।

५. (Low birth weight) कम वजनके शिशुका होना—गर्भपातके बाद होनेवाली आगामी संतान कम भारवाली होनेका खतरा २ से २.२५ गुना बढ़ जाता है।

६. (Ectopic pregenancies) बच्चेका फैलोपियन ट्यूबमें बढ़ना—इसमें माँकी जानको बहुत खतरा हो जाता है, क्योंकि बच्चा गर्भाशयकी बजाय (Falliopian tube) फैलोपियन ट्यूबमें बढ़ता है। इस प्रकारकी घटनाओंकी काफी बढोत्तरी हो गयी है। जिसमें तत्काल ऑपरेशन कराना पड़ जाता है।

गर्भपात करानेके बाद होनेवाली हानियोंके बारेमें हुए सर्वेक्षणों व वैज्ञानिकोंके मत—शाकाहार क्रान्ति नवम्बर-दिसम्बर ८९में छपे लेखके

*Article-Sahu Shalendra Kumar Jain, Advocate.

अनुसार स्त्रियाँ गर्भ-हत्या तो करवा देती हैं लेकिन फिर पूरे जीवनभर पीड़ा पाती हैं। शरीर रोगोंका म्यूज़ियम बन जाता है। घर कलह और क्लेशकी रणस्थली बन जाता है। सम्पूर्ण परिवार अशान्ति और दुःखकी भीषण ज्वालाओंमें झुलसता रहता है।

*गर्भपात करानेवाली लड़कियोंमेंसे एक तिहाई ऐसी बीमारियोंकी शिकार हो जाती हैं कि फिर कभी वे सन्तान पैदा नहीं कर सकतीं। (टोरंटो कनाडाके १९७० वाले अनुसंधानके अनुसार)

*जितना खतरा प्रसवकालमें होता है उससे दुगुना गर्भपातमें होता है।

*जापान के (Nagode Survey, 1968) के अनुसार गर्भपात करानेवाली महिलाओंमें ३०% से अधिक महिलाओंको आगे चलकर मानसिक कठिनाइयोंकी शिकायत होती है।

जुलाई १५, वर्ष १९९०के हिन्दुस्तान टाइम्समें छपे लेख (Abortion related deaths increasing) के अनुसार, विश्वमें प्रतिवर्ष होनेवाले पाँच करोड़ गर्भपातोंमेंसे करीब आधे गैर कानूनी होते हैं, जिनमें करीब २ लाख स्त्रियाँ प्रतिवर्ष मर जाती हैं और करीब ६० से ८० लाख पूरी उम्रके लिये रोगोंकी शिकार हो जाती हैं। हिन्दुस्तानमें ही अनुमानतः करीब ५ लाख औरतें प्रतिवर्ष गैर कानूनी गर्भपातोंद्वारा उत्पन्न हुई समस्याओंसे मरती हैं।

अतः गर्भपात करानेमें माँको भी खतरे कम नहीं हैं।



* गर्भपात मातृत्वकी हत्या लेखक, मुनि श्रीजितरत्नसागरजी 'राजहंस'।

*गर्भस्थ बच्चेकी हत्याका आँखों देखा विवरण

वर्ष १९८४ में 'नेशनल राइट्स टू लाईफ कन्वैन्शन' कनास सिटी, मिस्सौरीमें हुआ था। इसी (कन्वैन्शन) सम्मेलनकी एक प्रतिनिधि Mrs. Sandy Ressal ने, Dr. Bernard Nathanson के द्वारा एक Suction abortion गर्भपातकी बनायी गयी अल्ट्रासाउन्ड मूवीका जो विवरण दिया था, वह उन्हींके शब्दोंमें इस प्रकार है—

गर्भकी वह मासूम बच्ची अभी दस सप्ताहकी थी व काफी चुस्त थी। हम उसे अपनी माँकी कोखमें खेलते, करवट बदलते व अँगूठा चूसते हुए देख रहे थे। उसके दिलकी धड़कनोंको भी हम देख पा रहे थे और वह उस समय १२० की साधारण गतिसे धड़क रही थी। सब कुछ बिलकुल सामान्य था किन्तु जैसे ही पहले औजार (सक्शन पम्प) ने गर्भाशयकी दीवारको छुआ, वह मासूम बच्ची डरसे एकदम घूमकर सिकुड़ गयी और उसके दिलकी धड़कन काफी बढ़ गयी। हालाँकि अभीतक किसी औजारने बच्चीको छुआतक भी नहीं था लेकिन उसे अनुभव हो गया था कि कोई चीज उसके आरामगाह, उसके सुरक्षित क्षेत्रपर हमला करनेका प्रयत्न कर रही है।

हम दहशतसे भरे यह देख रहे थे कि किस तरह वह औजार उस नन्हीं-मुन्नी मासूम गुड़िया-सी बच्चीके टुकड़े-टुकड़े कर रहा था। पहले कमर (Spine) फिर पैर इत्यादिके टुकड़े ऐसे काटे जा रहे थे जैसे वह जीवित प्राणी न होकर कोई गाजर-मूली हो और वह बच्ची दर्द व पीड़ासे छटपटाती हुई सिकुड़-सिकुड़कर घूम-घूमकर तड़पती हुई इस हत्यारे औजारसे बचनेका प्रयत्न कर रही थी। वह इस बुरी तरह डर गयी थी कि एक समय उसके दिलकी धड़कन २०० तक पहुँच गयी। मैंने स्वयं अपनी आँखोंसे उसको अपना सिर पीछे झटकते व मुँह खोलकर चीखनेका प्रयत्न करते हुए, जिसे डा० नैथान्सनने उचित ही साइलैन्ट स्क्रीम (Silent Scream) मूक-चीख या मूक-पुकार कहा है, स्वयं देखा। अन्तमें हमने वह नृशंस व वीभत्स दृश्य भी देखा जब सँडसी (Forceps) उसकी खोपड़ीको तोड़नेके लिये तलाश कर रहा था और फिर दबाकर उस कठोर खोपड़ीको तोड़

---

* Article-Sahu Shalendra Kumar Jain, Advocate.

रहा था, क्योंकि सरका वह भाग बगैर तोड़े सक्शन ट्यूब (Suction tube) के माध्यमसे बाहर नहीं निकाला जा सकता था।

हत्याके इस वीभत्स खेलको सम्पन्न करनेमें करीब 15 मिनटका समय लगा और इसके दर्दनाक दृश्यका अनुमान इससे अधिक और कैसे लगाया जा सकता है कि जिस डाक्टरने यह (एबोर्शन) गर्भपात किया था और जिसने मात्र कौतूहलवश इसकी फिल्म बनवा ली थी, उसने जब स्वयं इस फिल्मको देखा तो वह अपना (Clinic) मतब छोड़कर चला गया और फिर वापस नहीं आया।

*गर्भस्थ शिशुकी हत्या व उसकी वेदनाको दर्शानेवाली इस फिल्म (Silent Scream) साइलैन्ट स्क्रीमको जब भूतपूर्व अमरीकी प्रेसिडैन्ट श्रीरोनाल्ड रीगनने देखा तो वह इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रत्येक अमरीकी संसद-सदस्यसे इस फिल्मको देखनेका अनुरोध किया। श्रीरीगन एबोर्शन कानूनको बदलनेके इच्छुक थे।

*मदर टेरेसाने कहा कि गर्भपात गर्भाशयमें बालककी हत्या ही है। उन्होंने विश्वकी सरकारोंसे गर्भपातको कानूनन रद्द कर दिये जानेका अनुरोध भी किया था।

Stonaway, New Delhi, 12.2.94 में छपे समाचारके अनुसार मदर टेरेसाने अमरीकामें बढ़ती हुई हिंसाका सम्बन्ध भ्रूण-हत्यासे जोड़ा है। उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति क्लिंटन, उपराष्ट्रपति गोरे, उनकी पत्नियों व अन्य तीन हजार श्रोताओंके समक्ष अपने भाषणमें कहा, "If we accept that a mother can kill even her own child, how can we tell other people not to kill each other? Any country that accepts abortion if not teaching its people to love, but to use any violence to get what they want." यदि हम यह स्वीकार कर लें कि एक माँ अपने बच्चेकी हत्या कर सकती है तो हम दूसरोंसे कैसे कह सकते हैं कि वे एक-दूसरेकी हत्या न करें। जो भी देश गर्भपातको मान्यता देता है वह अपनी प्रजाको प्रेमकी शिक्षा न देकर अपनी इच्छापूर्तिके लिये हिंसा अपनानेकी शिक्षा ही दे रहा है।

* बचाओ! बचाओ, लेखक मुनि रश्मिरत्न विजय।

अकेले अमरीकामें ही १५ लाखतक Abortion प्रतिवर्ष होते हैं।

हिन्दुस्तान टाइम्स, ता० २.९.९४ में छपे समाचारके अनुसार मदर टेरेसाने काहिरामें होनेवाली (World Population Conference) की पूर्व संध्यापर कहा "The greatest destroyer of peace today in the world is abortion. The only one who has the right to take life is the one who has created it. Nobody else has the right—not the mother, not the father, not the doctor, no agencies, no conference, no Government" गर्भपात, आज विश्व-शान्तिको नष्ट करनेका सबसे बड़ा कारण है। जिसने जीवन दिया है केवल एक उसी प्रभुको जीवन लेनेका अधिकार है। उसके अतिरिक्त किसीको भी, चाहे वह माँ हो, बाप हो, डाक्टर हो, कोई संस्था या सम्मेलन हो, चाहे कोई सरकार हो, गर्भपातद्वारा जीवन लेनेका कोई अधिकार नहीं है।

सन्ध्या टाइम्स, ता० ६.९.९४ में छपे समाचारके अनुसार काहिरामें होनेवाली उपरोक्त विश्व-कान्फ्रेंसमें अनेक देशोंने परिवार-नियोजन-कार्यक्रममें गर्भपातको प्रोत्साहन देनेका विरोध किया है। पाकिस्तानकी प्रधानमन्त्री श्रीमती बेनजीर भुट्टोने कहा कि इस्लाम गर्भपात करनेकी तबतक कोई अनुमति नहीं देता जबतक माँके जीवनको गम्भीर खतरा न हो।

हिन्दुस्तान टाइम्स, ता० ६.९.९४ में छपे समाचारके अनुसार महान् पोपने भी गर्भपातको "Brutal formulas for population reduction" जनसंख्या घटानेके पाशविक नृशंस नुस्खेकी संज्ञा दी है। उन्होंने भी गर्भपातकी निन्दा की है।

हिन्दुस्तान टाइम्स, ता० २.९.९४ में छपे समाचारके अनुसार मदर टेरेसाने कहा है कि यदि आपके पास कोई अनिच्छित सन्तान है, जिसे आप खिला-पिला व पढ़ा-लिखा नहीं सकते, तो उसे उन्हें दे दें। वे किसी भी बच्चेको लेनेको मना नहीं करेंगी। वे उस बच्चेको घर या प्यार करनेवाले माँ-बाप मुहैया करा देंगी।



भ्रूण-हत्या—कानूनकी दृष्टिमें

हर गर्भपातमें जीव-हत्या अनिवार्य होती है, इसलिये सन् १९७१ तक भारतमें गर्भपात करना व कराना कानूनन अपराध माना जाता था व इन्डियन पीनल कोडकी धारा ३१२वींके अनुसार गर्भपात करनेवाले, करानेवाले व गर्भपात करानेको उकसानेवालेतकको ३ वर्षसे आजीवन कारावासतककी भारी सजा दी जाती थी।

वर्ष १९७१ में भारत सरकारने एक नया कानून (The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) दी मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेगनेन्सी एक्ट, १९७१ बनाकर गर्भपात करने व करानेको प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूपमें एक प्रकारकी कानूनी मान्यता-सी प्रदान कर दी। इस वर्ष १९७१के नये कानूनके अनुसार एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनरके विचारमें यदि—

(a) गर्भका रहना गर्भवतीकी जानको खतरा उत्पन्न करता हो या उसके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्यके लिये (Grave injury) गम्भीर क्षति करनेवाला हो।

(b) अथवा गर्भस्थ शिशुके जन्म लेनेपर उसके विकलाङ्ग, अपङ्ग या अन्य शारीरिक व मानसिकरूपसे असामान्य होनेका गंभीर खतरा हो।

तब वह १२ सप्ताहकी अवधितकके गर्भस्थ भ्रूणका एबोर्शन करनेपर व दूसरे रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टीशनरसे परामर्श कर लेनेके बाद १२ सप्ताहसे २० सप्ताहतककी अवधिके गर्भस्थ भ्रूण (शिशु) का (एबोर्शन) गर्भपात करनेपर किसी भी प्रकारसे दोषी नहीं माना जायेगा।

इस कानूनमें मानसिक स्वास्थ्यकी (Grave injury) गम्भीर क्षतिका स्पष्टीकरण (Explanation) इस प्रकार है।

(१) यदि गर्भवती स्त्रीके गर्भ, बलात्कारका शिकार होनेपर हुआ हो तो वह उसके मानसिक स्वास्थ्यके लिये गम्भीर क्षतिकारक माना जायेगा।

(२) यदि उस महिला व उसके पतिके द्वारा परिवार सीमित रखनेके उद्देश्यसे अपनाये गये गर्भ-निरोधकके साधनके असफल रह जानेके परिणामस्वरूप

यदि अवाञ्छित गर्भ रह जाता है तो वह भी उस गर्भवती महिलाके मानसिक स्वास्थ्यको गंभीर क्षति करनेवाला माना जायेगा।

इस दूसरे स्पष्टीकरण "गर्भ निरोधके साधनके असफल रह जानेके कारण गर्भ ठहर जाने" ने एक प्रकारसे भ्रूण-हत्या करने व करानेको खुली छूट व पूरी कानूनी मान्यता ही प्रदान कर दी व कानून बनानेवालोंके उद्देश्य व कानूनकी उस भावनाको जो कि ऊपर पैरा (a),(b) व (1) में दी गयी है उसकी ही (Grave injury) गंभीर क्षति कर दी। परिणामस्वरूप भ्रूण-हत्याएँ दिन-दूनी रात-चौगुनी गतिसे बढ़ने लगीं और गर्भपात करना एक अच्छा-खासा व्यवसाय ही बन गया। गर्भपात कराने व अवाञ्छित सन्तानसे सस्तेमें ही छुटकारा पानेके विज्ञापनतक देशके कोने-कोनेमें पाये जाने लगे।

स्वयं सरकारी आँकड़ों (Reference Annual India) के अनुसार जहाँ वर्ष १९७६ में २,०६,७१० गर्भपात हुए वहाँ १९८१ में १८,२१,००४ गर्भपात हुए।

२५ मार्च, १९९३ के हिन्दुस्तान टाइम्समें छपे समाचारके अनुसार स्वास्थ्य व परिवार-कल्याण-मन्त्री श्रीबी. शंकरानन्दने राज्यसभामें बताया कि पिछले ३ वर्षोंमें स्वीकृतिप्राप्त संस्थाओंमें करीब १८,१०,१०० गर्भपात हुए।

*अस्वीकृत संस्थाओं व निजी क्लीनिकोंमें इनसे कितने गुना अधिक गर्भपात हुए होंगे इसका अनुमान स्वयं ही लगा लें। डा० डी०सी० जैनने शाकाहार-क्रान्तिमें गर्भपातकी विभीषिकाओंपर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि सम्पूर्ण भारतमें लगभग ५१ लाख ४७ हजार गर्भपात प्रतिवर्ष हो रहे हैं और इस संख्यामें प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

इस प्रकार लाखों निर्दोष मासूम बच्चोंकी गर्भाशयमें ही काट-काटकर हत्या कराना एक जघन्य अपराध है। विश्वके अनेक देशोंमें तो खूनियोंतकको भी फाँसी नहीं दी जाती क्योंकि किसीका जीवन लेनेका अधिकार किसीको भी नहीं है। गर्भपातद्वारा हत्या तो फाँसीसे भी अधिक क्रूर है। फाँसीसे तत्काल मृत्यु होती है, जबकि गर्भपातमें बच्चा अधिक समयतक तड़पकर मरता है। फाँसी किसी

* बचाओ! बचाओ, लेखक मुनि रश्मिरत्न विजय।

भयंकर अपराध करनेवालेको ही दी जाती है जबकि गर्भपातका शिकार बच्चा बिलकुल निर्दोष होता है। यदि इन निर्दोष मासूम बच्चोंको किसी न्यायालयमें प्रस्तुत होने या अपनी ओरसे न्यायालयमें याचिका दिलवाकर केस लड़नेका अधिकार होता तो इन गर्भपातके शिकार बच्चोंके हत्यारे माँ-बापों व गर्भपात करनेवाले डाक्टरोंको विश्वकी कोई भी शक्ति फाँसीके फंदेसे नहीं बचा पाती।

यदि अनिच्छित पत्नीको जलाकर मार डालना अपराध है। अंधे, अपङ्ग, कैंसर व एड्स आदि रोगोंसे पीड़ित या वृद्धावस्थासे दुःखी ऐसे व्यक्तियोंको जो शारीरिक व मानसिक कष्टके कारण स्वयं अपनी मृत्युकी कामना करते रहते हैं, उन्हें मार डालना अपराध है तो फिर एक निरपराध, पूरी लम्बी आयु जीनेकी क्षमता रखनेवाले शिशुको गर्भमें ही मार डालना अपराध क्यों नहीं?

क्या अहिंसाका संदेश देनेवाले गौतम बुद्ध, भगवान् महावीर व अहिंसाके पुजारी महात्मा गाँधीके अनुयायियोंको व अपनेको अहिंसावादी कहनेका दम भरनेवालोंको इस प्रकार निरपराध शिशुओंकी गर्भमें ही हिंसा करना व कराना शोभा देता है? क्या यह उनके लिये शर्मसे डूब मरनेवाली बात नहीं है?

विश्वके अनेक देशोंकी सरकारें इस जघन्य अपराधके प्रति जागरूक हो गयी हैं व ऐसे कानून बनानेका प्रयत्न भी कर रही हैं, जिनके अन्तर्गत जबतक माँकी जानको गंभीर खतरा न हो और उसे बचानेका कोई अन्य उपाय शेष न रहे, तबतक एबोर्शन अपराध माना जाये।

ऐसा कानून हर देशमें शीघ्रातिशीघ्र बने इसके लिये भरसक प्रयत्न करना हर मानवका कर्तव्य है।



भ्रूणका लिङ्ग-परीक्षण, वरदानसे अभिशाप बना

गर्भजलपरीक्षण (Prenatal testing) या एमिनोसिन्टेसिसका प्रारम्भ, आनुवंशिक विकृतियों, वंशानुगत रोगों तथा गुणसूत्रोंमें दोषोंका पता लगानेके उद्देश्यसे किया गया था। यह एक वैज्ञानिक उपलब्धि थी, क्योंकि इन परीक्षणोंसे ७२ असाध्य एवं वंशानुगत रोगोंकी पुष्टि की जा सकती थी और गर्भस्थ शिशुमें कोई रोग या दोष होनेपर उसका तभीसे उपचार प्रारम्भ करना संभव हो जाता था। निश्चित ही यह एक वरदान व सराहनीय प्रयास था, किन्तु इस परीक्षणसे शिशुके लिङ्गकी जानकारी भी मिल जानेके कारण यह शीघ्र ही वरदानसे अभिशापमें परिवर्तित हो गया।

प्रारम्भमें तो यह परीक्षण गर्भस्थ शिशुके बारेमें पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनेकी उत्सुकताको रोक नहीं पानेके कारण कराया जाता रहा। किन्तु शीघ्र ही उत्सुकता व ममताका स्थान बेटीको बेटेसे हीन माननेवाली दुर्भावनाने ले लिया और ये परीक्षण ऐसी कुटिल, स्वार्थी व द्वेषपूर्ण भावनासे कराये जाने लगे कि गर्भमें कहीं लड़केकी बजाय लड़की ही तो नहीं है। बेटीको बेटेसे दोयम दर्जेका अथवा एक प्रकारका भार माननेवाली समाजकी इस मानसिकतासे कुछ स्वार्थी तत्त्वोंको अपना व्यवसाय चमकानेका अच्छा अवसर प्राप्त हो गया और देखते-ही-देखते प्राय: सभी शहरोंमें ऐसे क्लीनिकोंकी बाढ़ आ गयी जहाँ गर्भ-परीक्षण और गर्भपातद्वारा भ्रूण नष्ट करनेकी सुविधा प्राप्त होने लगी। कुछ लोभी व्यक्तियोंने तो गर्भस्थ लड़की सन्तानकी हत्याको उकसानेवाले ऐसे नारे ''दहेजका सस्ता विकल्प—गर्भपात'' तक फैलानेमें भी संकोच नहीं किया।

परिणामस्वरूप लिङ्ग-परीक्षणके बाद होनेवाले गर्भपातोंमें ९७% अर्थात् प्राय: सभीमें गर्भस्थ लड़कीकी ही हत्या हुई। गर्भस्थ लड़केकी हत्या करानेसे प्राय: सभी माँ-बाप कतराते हैं भले ही उनके पहलेसे ही कई पुत्र क्यों न हों। नवभारत टाइम्स, ता० ३०.६.९४ में छपे एक लेखके अनुसार बीते पाँच सालोंमें मादा भ्रूणको खत्म करनेकी संख्या करीब २००% बढ़ी है। इस अमानुषिक प्रवृत्तिने स्त्री-पुरुष जनसंख्याके बीच गहरा असंतुलन पैदा कर दिया है। १९८१ में जहाँ प्रति हजार पुरुषोंमें औरतोंकी

संख्या ९३५ थी वहाँ १९९१ में यह घटकर ९२९ ही रह गयी है। कुछ प्रदेशोंमें तो इस औसतका अनुपात मात्र ८८२ ही है।

ता० २६.७.९४ के हिन्दुस्तान टाइम्समें छपे समाचारके अनुसार देशमें घटते पुरुष-स्त्री अनुपातके कारण अब प्रति हजार पुरुषोंमें स्त्रियोंकी संख्या मात्र ९१० ही रह गयी है। पुरुष-स्त्री अनुपातकी इस घटती प्रवृत्तिको यदि रोका नहीं गया तो असंतुलित लिङ्ग अनुपातसे अनेक प्रकारकी समस्याएँ जैसे बहुपति प्रथा, वेश्यावृत्ति आदिको बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप एड्स-जैसी महामारी गंभीररूपसे फैलेगी।

इन परीक्षणोंके बढ़ते दुरुपयोगको रोकनेके लिये सर्वप्रथम महाराष्ट्र सरकारने भ्रूणके लिङ्गपरीक्षणपर प्रतिबन्ध लगाया था। उसके बाद कई अन्य राज्योंने और अब केन्द्रीय सरकारने भी एक "Prenatal Diagnostic Techniques", "(Regulation and Prevention of Misuse) Bill" पास करके भ्रूणके लिङ्ग-परीक्षणपर प्रतिबन्ध लगा दिया है। किन्तु केवल कानून बननेसे कोई बुराई पूरी तरह नहीं मिटती, क्योंकि स्वार्थलिप्त व्यक्ति कानूनसे बचनेका कोई-न-कोई मार्ग निकाल ही लेते हैं। अतः इस बुराईको रोकनेके लिये महिला-संगठनों, सरकार व प्रबुद्धजनोंको मिलकर एक देशव्यापी अभियान चलाना होगा और जनता व विशेषकर माताओंको जागरूक करना होगा और उन्हें उन विकृत रूढ़ियों व मान्यताओंसे मुक्ति दिलानी होगी जो कन्या-भ्रूणकी हत्याके लिये जिम्मेदार हैं।

इस परीक्षणद्वारा लिङ्गकी जानकारी शत-प्रतिशत सही ही निकलती है, यह कहना भी अनुचित है और इस परीक्षणके कुछ संभावित खतरे भी बताये जाते हैं, जैसे भ्रूण और बीजांडासन (प्लेसेंटा) का नष्ट होना, अपने-आप गर्भपात या समयपूर्व प्रसवकी आशंका होना। बम्बईके श्रीमती नाथी बाई दामोदर ठाकरसी फार्मेसी कालेजके डा० आर० पी० रवीन्द्रके अनुसार इस परीक्षणसे कूल्होंके खिसकने तथा श्वासकी बीमारीकी भी संभावना रहती है। देहली मिड डे, ता० १७.१२.९३ में छपे

समाचारके अनुसार बार-बार अल्ट्रासाउन्ड करानेसे शिशुके वजनपर दुष्प्रभाव पड़ता है। Dr. Arti Malik के शब्दोंमें "No longer it is believed that prenatal ultrasound is entirely harmless."

पिता जिसे आकाशसे भी ऊँचा कहा गया है और माँ जिसे सन्तानके प्रति अगाध ममता व निःस्वार्थ त्यागकी भावनाके कारण देवी-देवताओंसे भी ऊँचा स्थान दिया जाता है, उन्हें अपने पितृत्व व मातृत्वकी गरिमाको बनाये रखनेके लिये यह दृढ़ निश्चय करना होगा कि वे लड़की सन्तानकी हत्याको बढ़ावा देनेवाले भ्रूणके लिङ्ग-परीक्षणको न स्वयं करायेंगे और न औरोंको करानेकी सलाह देंगे। हर पति-पत्नी यदि ऐसा निश्चय कर लें तो विश्वकी कोई भी शक्ति उनकी गर्भस्थ लड़की सन्तानकी हत्या नहीं कर सकती।



लड़के-लड़कीमें भेदभाव क्यों ?

जैसा कि पूर्व पृष्ठपर कहा गया है, भ्रूणका लिङ्ग-परीक्षण करानेके बाद जो भी गर्भपात अथवा भ्रूण-हत्याएँ करायी जाती हैं उनमें प्रायः सभी लड़कियाँ ही होती हैं, लड़के नहीं। ऐसा क्यों? क्या लड़की कोई ऐसी निष्प्राण वस्तु है जिसकी हत्या हिंसाकी श्रेणीमें नहीं आती? क्या लड़की होना ऐसा अपराध है जिसकी हत्याकी कानूनन अनुमति है? क्या लड़कियाँ कोई अनावश्यक वस्तु हैं? क्या लड़कियोंमें लड़कोंकी अपेक्षा मानवीय गुणों, प्रतिभा व कार्यक्षमताकी कमी होती है?

नहीं, बिलकुल नहीं। लड़कीमें भी माँ-बापका उतना ही अंश होता है जितना लड़केमें। लड़की-भ्रूणमें भी उतनी ही जान होती है जितनी लड़के-भ्रूणमें। निरपराध लड़की या नारीकी हत्या करनेवालेको भी उतना ही दंड मिलता है जितना निरपराध लड़के या पुरुषकी हत्या करनेवालेको। नारी तो सृष्टिकी जननी व पुरुषकी प्रेरणा-शक्ति है। इतिहास साक्षी है कि नारीने न केवल अपनेको पुरुषोंके समकक्ष अपितु उनसे श्रेष्ठ सिद्ध किया है। असुरोंका संहार करनेवाली माँ दुर्गा, त्याग व तपस्याकी मूर्ति सीता, यमराजतकको पराजित करनेवाली सती सावित्री—सब नारियाँ ही थीं। झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, इंदिरा गाँधी, लता मंगेश्कर आदि नारियोंने भी यह सिद्ध कर दिया है कि वे साहस, कार्यक्षमता, प्रतिभा आदि किसी भी क्षेत्रमें पुरुषोंसे कम नहीं हैं। अपने वंश व माँ-बापका नाम जितना इन नारियोंने रोशन किया उतना कितने पुरुष कर पाते हैं। महाकवि कालिदास व सन्त तुलसीदास आदिको भी महान् साहित्यकार बननेके लिए प्रेरित करनेवाली नारियाँ ही थीं। अंग्रेजी कहावत "There is a woman behind every successful man" (हर सफल पुरुषके पीछे एक स्त्री ही होती है) को सारा विश्व मानता है। मनुस्मृतिमें भी कहा गया है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥

(मनुस्मृति ३। ५६)

अर्थात् जहाँ नारियोंका आदर होता है वहाँ सभी देवता निवास करते हैं और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सभी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं।

लड़के-लड़कीमें भेदभाव रखना किसी तथ्य या उचित तर्कपर आधारित न होकर केवल हमारे अन्दरके स्वार्थ व रूढ़िवादितासे बने हुए मिथ्या भ्रमपर ही आधारित है। यह हमारे अन्दरके दैवी गुणोंका नहीं बल्कि आसुरी गुणोंका परिचायक है। लड़का वंशका नाम रोशन करेगा, बुढ़ापेका सहारा बनेगा, लड़की परायी अमानत है जिसकी शादीमें दहेज देना पड़ेगा अर्थात् कमाई हुई आमदनीमें सेंध लगेगी जब कि लड़केकी शादीमें दहेज यानी अनायास बिना कमाया धन प्राप्त होगा। इस प्रकारके विचारोंमें तो शुद्ध स्वार्थ व व्यवसायिकता ही छिपी है। वात्सल्य, ममता व सन्तानके प्रति प्रेमवाली भावना तो बिलकुल पीछे पड़ गयी, इस तरहकी स्वार्थी व व्यवसायिक मानसिकतासे उत्पन्न व ऐसी स्वार्थी मानसिकतामें परवरिश पायी हुई सन्तान स्वार्थी ही तो होगी। वह भी बड़ी होकर यदि बूढ़े माँ-बापको अपने स्वार्थकी दृष्टिसे ही देखें तो इसमें क्या आश्चर्य है। जैसा बीज बोया जायगा वैसी ही फसल प्राप्त होगी।

"बोये पेड़ बबूल का आम कहाँ से होय"

यह एक निश्चित सत्य है कि पुत्र व पुत्री सब अपना-अपना भाग्य लेकर आते हैं। अपने चारों ओर दृष्टि डालनेपर ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जायँगे कि एक गरीबकी लड़की राज भोग रही है व उस लड़कीने शादीके बाद माँ-बापकी व अपने भाइयोंतककी भी गरीबी दूर कर दी, जबकि अमीरका पुत्र संपत्ति नष्ट करके दुःख भोग रहा है।

यदि हम अपने व अन्य परिचित परिवारोंपर दृष्टि डालें तो हम पायँगे कि अधिकांश माता-पिता जितने अपनी बेटी व जमाईसे सन्तुष्ट हैं उतने अपने पुत्र व पुत्रवधूसे नहीं। लड़कीकी शादीके बाद तो जमाईके रूपमें एक पुत्र प्राप्त हो जाता है किन्तु लड़केकी शादीके बाद तो पुत्र भी केवल पुत्रवधूका ही बनकर पराया हो जाता है। अनेक परिवारोंमें तो पुत्र माँ-बापके साथ रहना भी पसन्द नहीं करते और जहाँ साथ रहते हैं वहाँ प्रायः

कलह ही रहती है। बूढ़े माँ-बापके दु:खमें बेटी व जमाई जितनी आत्मीयतासे देखभाल करते हैं उतनी पुत्र व पुत्रवधू नहीं करते और जो करते हैं वह भी आत्मीयताकी अपेक्षा बदनामीसे बचनेके लिये, दुनियाके दिखावेके लिये अथवा समाजके डरसे ही अधिक करते हैं। अत: यह समझना कि लड़कीकी अपेक्षा लड़का बुढ़ापेका अधिक सहारा बनेगा एक मृगतृष्णा ही है। यदि पुत्र बुढ़ापेका सहारा बनते तो नित्य नये वृद्ध-आश्रम खोलनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती, तीर्थस्थानोंमें दो समयकी रोटीके लिये भटकती बाइयोंकी बाढ़ देखनेको नहीं मिलती।

जहाँतक मात्र दो-तीन पीढ़ीतक चलनेवाले वंशके नामका प्रश्न है तो पुत्र यदि वंशके नामको रोशन कर सकता है तो उसको कलंकित भी कर सकता है। किसीका भी नाम रोशन उसके अपने स्वयंके कार्यों व सद्गुणोंसे ही होता है, पुत्र या पुत्रीसे नहीं। मुख्य वस्तु तो सद्गुण हैं, वे जिस भी पुत्र या पुत्रीमें होंगे वही नाम रोशन करेगा। लड़कियाँ आज सभी क्षेत्रोंमें लड़कोंसे आगे बढ़कर नाम कमा रही हैं। परीक्षा-परिणामोंमें भी लड़कियोंकी सफलताका अनुपात लड़कोंसे अधिक ही होता है।

अत: लड़केकी अपेक्षा लड़कीको हीन समझना सर्वथा अनुचित, मिथ्या धारणाओंपर आधारित भ्रममात्र है और लड़कीकी गर्भमें ही हत्या करना तो एक ऐसा दुष्कर्म व पाप है, जिसके दंडसे करने व करानेवाले दोनों ही नहीं बच सकते व उन्हें जन्म-जन्मान्तरोंतक ऐसे दुष्कर्मके फलोंको भुगतना पड़ेगा ।



॥ श्रीहरिः॥

गर्भपात महापाप है

यत्पापं ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने।
प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते॥

(पाराशरस्मृति ४। २०)

'ब्रह्महत्यासे जो पाप लगता है, उससे दुगुना पाप गर्भपात करनेसे लगता है। इस गर्भपातरूपी महापापका कोई प्रायश्चित्त भी नहीं है, इसमें तो उस स्त्रीका त्याग कर देनेका ही विधान है।'

भ्रूणघ्नावेक्षितं चैव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया।
पतत्रिणाऽवलीढं च शुना संस्पृष्टमेव च॥

(मनुस्मृति ४।२०८)

'गर्भहत्या करनेवालेका देखा हुआ, रजस्वला स्त्रीका स्पर्श किया हुआ, पक्षीका खाया हुआ और कुत्तेका स्पर्श किया हुआ अन्न न खाये।'

गर्भपात करनेवालेकी अगले जन्ममें सन्तान नहीं होती—इस बातको प्रकट करनेवाले अनेक श्लोक 'वृद्धसूर्यारुणकर्मविपाक' नामक ग्रन्थमें आये हैं। उनमेंसे कुछ श्लोक इस प्रकार हैं—

पूर्वे जनुषि या नारी गर्भघातकरी ह्यभूत्।
गर्भपातेन दुःखार्ता साऽत्र जन्मनि जायते॥

(४७७। १)

'जो स्त्री पूर्वजन्ममें गर्भपात करती है, वह इस जन्ममें भी गर्भपातका दुःख भोगनेवाली होती है अर्थात् उसकी सन्तान नहीं होती।'

वन्ध्येयं या महाभाग पृच्छति स्वं प्रयोजनम्।
गर्भपातरता पूर्वे जनुष्यत्र फलं त्विदम्॥

(६५९। १, ८५६। १, ९२१। १, १८५७। १)

'कोई स्त्री पूछती है कि मैं इस जन्ममें वन्ध्या (सन्तानहीन) किस कारण हुई, तो इसका उत्तर है कि यह पूर्वजन्ममें तेरे द्वारा किये गये गर्भपातका ही फल है।'

गर्भपातनपापाढ्या बभूव प्राग्भवेऽण्डज।
साऽत्रैव तेन पापेन गर्भस्थैर्यं न विन्दति॥

(११८७। १)

'हे अरुण! जो पूर्वजन्ममें गर्भपात करती है, इस जन्ममें उस पापके कारण उसका गर्भ नहीं ठहरता अर्थात् वह सन्तानहीन होती है।

॥ श्रीहरिः ॥

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित परम श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजकी ये पुस्तकें भी अवश्य पढ़ें—